बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक– 01 / विकास–16416 / 2026–1500/ई.का.　　　　　　पटना, दिनांक– 14 अगस्त, 2026

संयुक्त आदेश

सात निश्चय–3 के अंतर्गत निश्चय–2 "समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार" के तहत राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना / पुनरुद्धार के दृष्टिगत गन्ना उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत गन्ना उद्योग विभाग द्वारा बीज विकास योजना, गन्ना यंत्रीकरण योजना, नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम तथा गन्ना की खेती में जैविक उपादानों के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना संचालित की जा रही है। साथ ही रैयाम एवं सकरी चीनी मिल क्षेत्र के घोषित कमांड क्षेत्र के गन्ना उत्पादक / गन्ना उत्पादन हेतु प्रतिबद्ध किसानों को प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति से जोड़ने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग द्वारा ई–सहकारी (https://esahkari.bihar.gov.in/COOP/societyreg/) पोर्टल के माध्यम से समिति की सदस्यता हेतु आवेदन प्रदान किया जा रहा है।

उक्त योजनाओं के प्रभावी, समयबद्ध एवं लक्ष्य अनुरूप क्रियान्वयन हेतु गन्ना उद्योग विभाग एवं सहकारिता विभाग के मध्य समन्वित कार्रवाई अपेक्षित है। सहकारिता विभाग की ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तृत संस्थागत संरचना एवं क्षेत्रीय संपर्क तंत्र का उपयोग योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार, आवेदन सृजन, सत्यापन, भौतिक अनुश्रवण तथा किसानों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने में अत्यंत सहायक होगा।

उपर्युक्त के आलोक में गन्ना उद्योग विभाग एवं सहकारिता विभाग के जिला एवं प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों / कर्मियों का संयुक्त रूप से दायित्व निर्धारण किया जाता है, ताकि योजनाओं का प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। योजनावार एवं विभागवार सूची, दायित्व की सूची **परिशिष्ट–1, 2 एवं 3** के रूप में संलग्न है।

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू समझा जाय।

3. यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी होगा।

(हस्ताक्षर) 14/8/26
(रजनीश कुमार सिंह)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

(हस्ताक्षर)
(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक–01/विकास–16355/2026–1500/ई॰का॰ पटना, दिनांक– 14 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– निबंधक, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यालय के संबंधित सभी पदाधिकारी/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहकारिता विभाग/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, ईख विकास/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/महाप्रबंधक, सभी चीनी मिल/सचिव, बिस्मा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह॰/- 14/8/2026

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–01/विकास–16355/2026–1500/ई॰का॰ पटना, दिनांक– 14 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि– सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह॰/- 14/8/2026

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2026–27 में संयुक्त कार्यान्वयन हेतु योजनाओं/अभियान का विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम एवं स्वीकृत्यादेश	मुख्य अवयव एवं भौतिक लक्ष्य
1	मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अतर्गत बीज विकास योजना (स्वी० सं०– 239/08.07.2026)	• न्यूक्लियस/प्रजनक बीज उत्पादन– 105 हे० (2.50 लाख रू०/हे०) • आधार बीज उत्पादन – 800 हे० (70,000 रू०/हे०) • प्रमाणित/सत्यापित बीज (सेट) वितरण – 7,00,000 क्वी० (सामान्य 260 रू०/क्वी०, अनु०जाति/अनु०जनजाति 310 रू०/क्वी०) • सिंगल बड (सेटलिंग) – 4,000 एकड़ (अधिकतम 15,000 रू०/एकड़)
2	गन्ना यंत्रिकरण योजना (स्वी० सं०– 240/08.07.2026, कार्या० अनुदेश 1396/30.07.2026)	• 45 प्रकार के गन्ना कृषि यंत्रों पर अनुदान – कुल 3,218 यंत्र • यंत्र बैंक–80 इकाई (10.00 लाख रू० परियोजना लागत पर 80% अनुदान, अधिकतम 8.00 लाख रू०, न्यूनतम 07 यंत्र क्रय अनिवार्य) • अनुदान दर – सामान्य 40% अनु०जाति/अनु०जनजाति/अ०पि०व० 50%; फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र एवं सेट ट्रीटमेंट डिवाइस पर क्रमशः 75% से 80% • एक कृषक को अधिकतम 03 यंत्र पर अनुदान देय
3	गन्ना की खेती में जैविक उपादान के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना (स्वी० सं०– 169/29.07.2026	• फेरोमोन/लाइट ट्रैप – 3,000 एकड़ (75% अधिकतम 900 रू०/एकड़) • स्टीकी ट्रैप/ट्राइकोकार्ड – 3,000 एकड़ (75% , अधिकतम 350 रू०/एकड़) • जैव–फफूँदनाशी/जैव–कीटनाशी – 5,000 एकड़ (75% अधिकतम 500 रू०/एकड़) • हरी खाद (ढैंचा) – 3,000 एकड़ (75% अधिकतम 500 रू०/एकड़) कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट – 10,000 एकड़ (50% अधिकतम 3,000 रू०/एकड़) • जैव उर्वरक (पी०एस०बी०/एजोटोबेक्टर/एसीटोबेक्टर) – 5,000 एकड़(50% अधिकतम 500 रू०/एकड़)
4	नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना	• किसानों को निःशुल्क गन्ना बीज की उपलब्धता • बीज की कटाई, परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। • योजना का लाभ किसानों को न्यूनतम 0.25 एकड़ से 5 एकड़ गन्ना क्षेत्र के लिए देय है। • बीज परिवहन की व्यवस्था सहायक निदेशक, ईख विकास के स्तर से किया जायेगा।
5	प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति हेतु अभियान	• ई–सहकारी (https://esahkari.bihar.gov.in/COOP/societyreg/) पोर्टल के माध्यम से समिति की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। • सकरी चीनी मिल क्षेत्र अंतर्गत सकरी प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति लि0 एवं रैयाम चीनी मिल क्षेत्र अंतर्गत रैयाम प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति लि0 का गठन किया गया है। • समिति के सदस्यों को गन्ना के उत्पादन एवं विकास अंतर्गत बीज, खाद, कीटनाशक, यंत्र वितरण, सिंचाई की सुविधा, आवश्यक ऋण एवं अन्य तकनीकी परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। • कृषि अथवा गन्ना उद्योग विभाग के योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। • सदस्यों के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम का संचालन एवं निधियों की व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध होगा।

14/8/26
निबंधक,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–2

योजनावार एवं विभागवार दायित्वों की सूची (जिला एवं प्रखण्ड स्तर)

सारणी–क : बीज विकास योजना

क्र० सं०	कार्य–चरण/गतिविधि	गन्ना उद्योग विभाग–जिला स्तर	गन्ना उद्योग विभाग– प्रखण्ड/क्षेत्र स्तर	सहकारिता विभाग–जिला स्तर	सहकारिता विभाग– प्रखण्ड/पैक्स स्तर
1	प्रचार–प्रसार	• लक्ष्य के अनुरूप प्रखण्ड/चीनी मिलवार प्रचार कैलेण्डर निर्गत करना • समाचार–पत्र/सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार	• ग्राम स्तर पर गोष्ठी/चौपाल आयोजित कर योजना की जानकारी देना • इच्छुक कृषकों की सूची तैयार करना • सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों से उत्पादक सदस्यों की सूचि प्राप्त कर, सही मिलान कर, जिला कार्यालय को प्रेषित करना	• पैक्सवार गन्ना उत्पादक सदस्यों की सूची उपलब्ध कराना • पैक्स के सूचना पट्ट पर योजना का प्रदर्शन सुनिश्चित कराना	• पैक्स की आम/कार्यकारिणी बैठक में योजना की जानकारी देना • ग्रामवार इच्छुक बीज उत्पादक कृषकों को चिन्हित कराना
2	ऑनलाइन आवेदन सृजन (केन केयर पोर्टल)	• पोर्टल पर अवयववार लक्ष्य के अनुरूप आवेदन सृजन कराना • आवेदन की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा	• कृषकों का गन्ना पंजीकरण (13 अकीय डी०बी०टी० आई०डी०) कराकर गन्ना आई०डी० (Ganna ID) दिलाना • आवेदन में भूमि दस्तावेज/ स्व–घोषणा अपलोड करना	• पैक्स–सह–सी०एस०सी० (कॉमन सर्विस सेन्टर) केन्द्रों को आवेदन सृजन हेतु निदेशित करना	• पैक्स केन्द्र पर निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कराना • आवेदन संख्या कृषक को उपलब्ध कराना • आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना
3	बीज उत्पादक प्रक्षेत्र का चयन एवं स्टॉक संधारण	• पोर्टल पर प्रजनक/आधार/प्रमाणित बीज के स्टॉक की अंतिम सम्पुष्टि	• बीज योग्य खेत का स्थल भ्रमण एवं प्रभेद/रकवा/एल०आई०आर० (LIR) संख्या का सत्यापन	• पैक्स/व्यापार मंडल की भूमि एवं प्रगतिशील सदस्य कृषकों को आधार बीज उत्पादन हेतु प्रेरित करना	• बीज उत्पादक कृषकों का ग्रामवार सूची तैयार कर जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना
4	चलान निर्गमन, बीज वितरण	• आवेदन की स्वीकृति उपरात चालान निर्गत करना • विशेष परिस्थिति में वितरण की वैधता विस्तारित करना	• उठाव स्थल पर चालान स्वीकृति कराना एव मात्रा का मिलान	—	• बीज वितरण में परिवहन हेतु सामूहिक व्यवस्था
5	बुआई उपरांत भौतिक सत्यापन	• न्यूनतम 10 प्रतिशत मामलों की स्वयं जाँच करना • सत्यापन प्रतिवेदन का पोर्टल पर अवलोकन	पोर्टल के माध्यम से शत–प्रतिशत स्थल निरीक्षण एव जियो–टैग फोटोग्राफ अपलोड करना	सयुक्त औचक जॉच में सहभागिता (न्यूनतम 10 प्रतिशत मामले)	सत्यापन के समय पैक्स प्रतिनिधि की उपस्थिति एव ग्राम स्तर पर सुविधा प्रदान करना
6	अनुदान/प्रोत्साहन भुगतान	सी०एफ०एम०एस० के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में भुगतान एवं पोर्टल पर यू०टी०आर० अंकित करना	लाभुक को भुगतान की सूचना देना एव सम्पुष्टि कराना	—	पैक्स सदस्य कृषको के खाते की के०वाई०सी० अद्यतन कराना लाभुक को भुगतान की सूचना देना एव सम्पुष्टि कराना
7	अनुश्रवण	योजना अतर्गत सभी कार्यो का अवयववार अनुश्रवण करना	ग्राम/पचायत स्तर पर योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना	योजना अतर्गत सभी कार्यो का अवयववार अनुश्रवण करना	ग्राम/पचायत स्तर पर योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

14/8/26
निबंधक,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

सारणी–ख: गन्ना यंत्रिकरण योजना

क्र० सं०	कार्य–चरण/गतिविधि	गन्ना उद्योग विभाग–जिला स्तर	गन्ना उद्योग विभाग–प्रखण्ड/क्षेत्र स्तर	सहकारिता विभाग–जिला स्तर	सहकारिता विभाग– प्रखण्ड/पैक्स स्तर
1	प्रचार–प्रसार एवं यंत्र बैंक हेतु संस्था चयन	• जिला मे यंत्रवार/कोटिवार लक्ष्य का प्रसार एवं विक्रेता–कृषक बैठक • जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यंत्र निर्माता/विक्रेता • (Manufacturer/Dealer) की बैठक करना	• कृषकों को यंत्रों की उपयोगिता एवं अनुदान दर की जानकारी देना	• गन्ना बहुल प्रखण्डों की सक्षम पैक्स/व्यापार मंडल का चयन कर यंत्र बैंक हेतु प्रस्ताव तैयार कराना • 80 यंत्र बैंक के राज्य लक्ष्य के विरूद्ध जिला कोटा सुनिश्चित करना	• पैक्स की कार्यकारिणी से यंत्र बैंक स्थापना का संकल्प पारित कराना • न्यूनतम 07 यंत्रों के चयन में सहयोग करना
2	आवेदन एवं पात्रता जाँच	• कृषकों का गन्ना पंजीकरण (13 अकीय डी०बी०टी० आई०डी०) कराकर गन्ना आई०डी० (Ganna ID) दिलाना • गन्ना आई० डी० की सहायता से सुगेक पोर्टल पर आवेदन सृजन का अनुश्रवण करना • एल०पी०सी०/मालगुजारी रसीद/वंशावली की जाँच करना	• आवेदक के गृह स्थल पर 03 दिनों के अंदर जाँच कर संयुक्त प्रतिवेदन अग्रसारित करना	• पैक्स/समिति के पंजीयन प्रमाण–पत्र, अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं संकल्प की प्रति उपलब्ध कराना • ए०टी०एस०पी० हेतु प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र सत्यापित कराना	• सदस्य कृषकों की भूमि संबंधी अभिलेख जुटाने में सहयोग करना
3	लक्ष्य निर्धारण एवं स्वीकृति पत्र	• ईखायुक्त द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख को लक्ष्य निर्धारण उपरात 02 दिनों के अंदर स्वीकृति पत्र निर्गत करना • एक यंत्र पर वित्तीय लक्ष्य के 20 प्रतिशत की सीमा का अनुपालन	• एस०एम०एस० के अतिरिक्त कृषक को स्वीकृति पत्र की सूचना देना	• स्वीकृत पैक्स/समिति को क्रय प्रक्रिया एवं अभिलेख संधारण हेतु मार्गदर्शन देना	• स्वीकृति पत्र की वैधता (30 दिन) के अदर क्रय सुनिश्चित कराना
4	ऋण अभिसरण एवं यंत्र क्रम	• लाभुक को सूचीबद्ध (empaneled) विक्रेता से मोल–भाव कर उचित मूल्य पर मार्गदर्शन देना • चीनी मिल के माध्यम से ऋण स्वीकृति में सहायता	• क्रय की सूचना पोर्टल पर अपलोड कराना	• DCCB/पैक्स के माध्यम से लाभुक अशदान हेतु के०सी०सी०/मध्यकालीन ऋण की समयबद्ध स्वीकृति • ऋण आवेदनों का पाक्षिक/अर्धमासिक समीक्षा	• ऋण आवेदन का सकलन एवं शाखा को अग्रसारण • नगद भुगतान की मनाही का अनुपालन कराना
5	भौतिक/उपयोगिता सत्यापन	• 04 दिनों के अंदर सत्यापन, इजन/सीरियल नं० एवं इन्ग्रेव्ड (Engraved) रेजिस्ट्रेशन नं० की जाँच	• सुगेक एप से फोटोग्राफ सहित शत–प्रतिशत यंत्रों की जाँच	• यंत्र बैंक की संयुक्त जाँच में सहभागिता एवं परिसपति पंजी का सत्यापन	• यंत्र बैंक की परिसपति पंजी, किराया पंजी एवं भंडारण स्थल का संधारण
6	अनुदान भुगतान एवं परिसंपति का संधारण	• सत्यापन के 03 दिनों के अदर सी०एफ०एम०एस० से भुगतान एवं 24 घंटे के अंदर यू०टी०आर० पोर्टल पर अपलोड	• लाभुक से प्राप्ति की सम्पुष्टि कराना	• 05 वर्ष तक यंत्र के विक्रय/हस्तातरण पर रोक का अनुपालन कराना • किराया दर बाजार दर से कम रहे, इसकी निगरानी करते रहना	• यंत्र बैंक की किराया पजी (कृषक का नाम, पता, अवधि, राशि) का संधारण एवं मासिक प्रतिवेदन

14/8/26
निबंधक,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

सारणी– गः गन्ना की खेती में जैविक उपादान के उपयोग को प्रोत्साहन की योजना

क्र० सं०	कार्य–चरण / गतिविधि	गन्ना उद्योग विभाग–जिला स्तर	गन्ना उद्योग विभाग–प्रखण्ड / क्षेत्र स्तर	सहकारिता विभाग–जिला स्तर	सहकारिता विभाग– प्रखण्ड / पैक्स स्तर
1	लक्ष्य प्रसार एवं आवेदन	• अवयववार (ट्रैप, जैव–कीटनाशी, हरी खाद, कम्पोस्ट, जैव उर्वरक) एकड़वार लक्ष्य का उप–आवंटन • केन केयर पोर्टल पर आवेदन आमंत्रण / सृजन करना	• कृषकों को जैविक उपादान के लाभ की जानकारी देकर आवेदन सृजित कराना	• पैक्स सदस्य कृषकों में लक्ष्य का प्रचार प्रसार कराना • अ०जा० / अ०ज०जा० कर्णांकित कर लक्ष्य का चिन्हीकरण करना	• कृषकों को जैविक उपादान के लाभ की जानकारी देना • ग्राम स्तर पर इच्छुक कृषकों की सूची तैयार कर आवेदन कराना
2	उपादान की आपूर्ति एवं गुणवत्ता	• जैविक उपादानों का अनुज्ञप्तिधारी / प्रमाणित आपूर्तिकर्ता के माध्यम से उपलब्ध कराना	• आपूर्ति की मात्रा एवं बिल का सत्यापन	• पैक्स / व्यापार मंडल के अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक विक्रय केन्द्रों के माध्यम से जैव उर्वरक / जैव–कीटनाशी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	• जीविका / स्वय सहायता समूह की अनुज्ञप्तिधारी वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों से स्थानीय क्रय को प्रोत्साहित करना
3	प्रयोग एवं भौतिक सत्यापन	• न्यूनतम 20 प्रतिशत मामलों की जाँच	• पोर्टल के माध्यम से खेत में उपादान के प्रयोग का सत्यापन करना	• संयुक्त औचक निरीक्षण में सहभागिता	• प्रयोग उपरांत कृषक से फीडबैक संकलित करना
4	अनुदान भुगतान एवं प्रलेखन	• सी०एफ०एम०एस० / डी०बी०टी० के माध्यम से भुगतान एवं यू०टी०आर० अंकन कराना	• लाभुक को भुगतान की सूचना देना एवं दस्तावेज संधारण करना	• बैंक खाता संबंधी समस्या का निराकरण कराना	• पैक्स स्तर पर लाभुक पंजी का संधारण कराना

14/8/26
निबंधक,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

ईखायुक्त, बिहार।

सारणी– घ : नये क्षेत्रों में गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना

क्र० सं०	कार्य–चरण/गतिविधि	गन्ना उद्योग विभाग–जिला स्तर	गन्ना उद्योग विभाग– प्रखण्ड/क्षेत्र स्तर	सहकारिता विभाग–जिला स्तर	सहकारिता विभाग– प्रखण्ड/पैक्स स्तर
1	प्रचार–प्रसार	• लक्ष्य के अनुरूप प्रखण्ड/चीनी मिलवार प्रचार कैलेण्डर निर्गत करना • समाचार–पत्र/सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार	• ग्राम स्तर पर गोष्ठी/चौपाल आयोजित कर योजना की जानकारी देना • इच्छुक कृषकों की सूची तैयार करना • सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों से उत्पादक सदस्यों की सूची प्राप्त कर, सही मिलान कर, जिला कार्यालय को प्रेषित करना	• पैक्सवार गन्ना उत्पादक सदस्यों की सूची उपलब्ध कराना • ई–सहकारी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के बीच प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना • पैक्स के सूचना पट्ट पर योजना का प्रदर्शन सुनिश्चित कराना	• पैक्स की आम/कार्यकारिणी बैठक में योजना की जानकारी देना • ग्रामवार इच्छुक बीज उत्पादक कृषकों को चिन्हित कराना
2	बीज स्त्रोत एवं बीज आपूर्तिकर्ता को चिन्हित करना	• बीज स्रोत की पहचान कर उसका अनुशंसित समिति से सत्यापन सुनिश्चित कराना • पोर्टल पर सत्यापित बीज का स्टॉक अंकित करना	• बीज स्रोत की पहचान कर सत्यापन करना एवं बीज आपूर्तिकर्ता को चिन्हित करना	• पैक्स के माध्यम से बीज स्रोत का स्थान एवं बीज आपूर्तिकर्ता के चयन में सहयोग करना • बीज की परिवहन व्यवस्था में गन्ना पदाधिकारी को सहयोग करना	• योजनान्तर्गत दिए गए निःशुल्क बीज की बुआई सुनिश्चित कराना
3	अनुश्रवण	योजना अंतर्गत सभी कार्यों का अवयववार अनुश्रवण करना	ग्राम/पंचायत स्तर पर योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना	योजना अंतर्गत सभी कार्यों का अवयववार अनुश्रवण करना	ग्राम/पंचायत स्तर पर योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

14/1/2026
निबंधक,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–3

त्रिस्तरीय संयुक्त अनुश्रवण एवं समीक्षा संरचना

क्र० सं०	स्तर	अध्यक्ष / सदस्य सचिव	सदस्य	मुख्य कार्य
1	राज्य स्तरीय संयुक्त अनुश्रवण समिति	अध्यक्ष – सचिव, गन्ना उद्योग विभाग सह–अध्यक्ष– सचिव, सहकारिता विभाग सदस्य सचिव– ईखायुक्त	सयुक्त निदेशक–ईख विकास, बिहार / निबंधक, सहयोग समितियाँ	• नीतिगत निर्णय एव अंतर–विभागीय अड़चनों का निराकरण • लक्ष्य का पुनरीक्षण एव वित्तीय प्रगति की समीक्षा • सयुक्त कार्ययोजनाओं का अनुमोदन
2	जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति	अध्यक्ष– जिलाधिकारी सदस्य सचिव– सहायक निदेशक, ईख विकास	उप निदेशक, ईख विकास / ईख पदाधिकारी / जिला सहकारिता पदाधिकारी / जिला कृषि पदाधिकारी / महाप्रबधक, चीनी मिल	• योजनावार लक्ष्य के सापेक्ष्य उपलब्धि की समीक्षा • लंबित आवेदन / सत्यापन / भुगतान का निष्पादन • यत्र बैंक की स्थापना की प्रगति की समीक्षा • सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का जिलास्तरीय अनुश्रवण।
3	प्रखण्ड स्तरीय	अध्यक्ष– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी संयोजक– ईख प्रसार पदाधिकारी	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / पैक्स अध्यक्ष	• ग्रामवार आवेदन सृजन एव सत्यापन की समीक्षा • सयुक्त स्थल निरीक्षण एवं शिकायत निवारण • प्रगति प्रतिवेदन जिला को ससमय प्रेसित करना • सभी योजनाओं का धरातलीय क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।

निबंधक,
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

ईखायुक्त, बिहार।

Scanned with OKEN Scanner